



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराधि/2014/

15/3

जयपुर, दिनांक:-

5-11-2014

अधिसूचना:-

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराधि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-88 के तहत प्रस्तावित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबोधित जिले के खिलाफ कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियाँ आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिसूचना किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्यवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अनिर्णयों का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबोधित संगामीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन कराये जाने के पश्चात् सीकर जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और कि :-

1. सीकर जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समितियाँ उस नाम से जानी जायेगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित है;
2. यह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायत समितियाँ अधिकारिता का प्रयोग करगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;
3. अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायत समितियों के चुनाव छ. माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;
4. और यथावत आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्वान पंचायत समितियाँ जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देंगी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

क. स.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों के नाम	पुनर्गठित/ नवसृजित पंचायत का नाम एवं मुख्यालय	पुनर्गठित/ नवसृजित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम
1	फतेहपुर	1 बेरावा 2 मीरपुरी 3 नगीपुरा 4 दिनवा लाहखानी 5 बरौद छोटी 6 अटवास 7 गरीयपुर 8 गरीयपुर 9 हिरणा 10 बरौद 11 लोधीपुर छोटा 12 दातल 13 मंडिला बड़ा	फतेहपुर	1 पालास 2 खोहिया 3 देवास 4 बाढण 5 रोहलसाहबसर 6 हुडवा 7 रोसावा 8 मंडिला बड़ा 9 हिरानिया 10 दातल 11 नयाबास 12 लोधीपुर छोटा 13 बरौद

14 नयाबास 15 हिरानिया 16 रोसावा 17 गोडिया बडा 18 तिहायली 19 रोहल साहबसर 20 हुडवा 21 बाढण 22 पालास 23 खोहिया 24 लाखलसर 25 सहनुसर 26 तिहायली 27 देवास 28 कायमसर 29 बादसर 30 बलारी 31 घुड़ी निया 32 तिसनाक 33 राजपुरा 34 राजास 35 बाटडानाक 36 ठेडी	1 नरोदडा 2 जसरासर 3 खुडी बडी 4 भोजासर बडा 5 हमीरपुरा 6 कुमास जाटान 7 बगडी 8 सिंगोदडा 9 लालासी 10 हुडवा 11 रहनावा 12 खेडी राडान 13 पालडी 14 खोवासर 15 खोवासर 16 बिडोदी बडी 17 जाजोद 18 धाननी 19 अलखपुराबोगन 20 पाटिया 21 बरौठ 22 मूना बडा 23 गाडोदा 24 मंगलुणा 25 तिडोकी बडी 26 रुथ्याणा माली 27 मीरपड 28 नेछा 29 गनडी 30 सुतोद 31 कुमास जागीर 32 सुतोद 33 निलपडा	1 गारीण्डा 15 अठवास 16 हिरणा 17 मीधरी 18 बेसावा 19 तिनया लाडखानी 20 नयीपुरा 21 गारयासर 22 खलीद छोटी 23 गोडिया बडा 24 कायमसर 25 ठेडी 26 तिहायली 27 तिनली 28 ताखलसर 29 सहनुसर
2 लक्षणागट	लक्षणागट	

34	चिरनियां बड़ा	34	रुत्याणी
35	काछवा	35	काछवा
36	रुत्याणी	36	भिलूवा
37	बहर का बास	37	सुंठ
		38	रुत्याणा माली
		39	चिरनियां बड़ा
		40	मोरुड
		41	गाऊवा
		42	मंगलूला
		43	पाटवा
		44	खोड

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेशित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशेष शासन सचिव राज0 जयपुर।
6. समस्त संमानीय आयुक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय भूदणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
11. शक्ति पत्रावली।

सप शासन सचिव (विधि)



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.16(1)पुनर्गठन/विधि/पंचायि/2014/

जयपुर, दिनांक- 5-11-2014

अधिसूचना:

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.16(1)पुनर्गठन/विधि/पंचायि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सांविजनिक अदालत के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्यवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अनुरोधों का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संमानीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन कवाये जाने के पश्चात् सीकर जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और कि :-

1. सीकर जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित पंचायत समितियां उस नाम से जानी जायेगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित है;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायत समितियां अधिकारिता का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;
3. अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायत समितियों के पुनर्गठन छ माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;
4. और यद्योक्त आदेश से पुनर्गठन के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान पंचायत समितियां जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उक्त सारणी से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देंगी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायत समितियों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

क्र.सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में शामिल ग्राम पंचायतों के नाम	पुनर्गठित/नवसृजित पंचायत का नाम एवं मुख्यालय	पुनर्गठित/नवसृजित पंचायत समिति में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम
1	1	3	4	5
3	सीमकाथाना	1 गोडावास 2 आगवाडी 3 गणेश्वर 4 गावडी 5 दरोबा 6 महुवा 7 खारवा 8 मण्डलो 9 पुरानाबास 10 नाकडी 11 कोटडा 12 नयाबास 13 चला 14 सिरहो 15 गुलाला 16 डेहरा जोहडी 17 नरसिंहपुरी	सीमकाथाना	1 नरसिंहपुरी 2 डेहरा जोहडी 3 गुलाला 4 चला 5 मोहितपुरा 6 डिकरिया 7 वासडीखुर्द 8 प्रियमपुरी 9 झीराना 10 गणेश्वर 11 सीपलाटा 12 सेकराय 13 सावलपुरा बवरान 14 मोथलपुर 15 रायपुर जागीर 16 टटारा 17 किशोरपुरा

18	मण्डिनपुरा	18	खटकडा
19	ठिकरिया	19	जुगलपुरा
20	भोगा	20	दीपावास
21	प्रधनपुरा	21	आगरी
22	भदोली	22	गालडी
23	झरना	23	हरानगर
24	बासडी खुर्द	24	खारवा
25	जौली	25	महावा
26	दयाल की नांगल	26	मावण्डा कलौ
27	मावण्डा खुर्द	27	मावण्डा खुर्द
28	मावण्डा आर एस.	28	मावण्डा आर एस.
29	मावण्डा कलौ	29	नापावाली
30	नाथा की नांगल	30	माकडी
31	टोडा	31	पुरानाबास
32	दीपावास	32	मण्डोली
33	मोकलवास	33	कोटडा
34	होकन	34	नयाबास
35	डबला	35	गौडावास
36	बिहार	36	कुरखडा
37	स्यालोदडा	37	आगवाडी
38	बिहारीपुर	38	भदोली
39	श्यामपुरा	39	भोगा
40	पाटन	40	सिरोही
41	रायपुर पाटन	41	नाथा की नांगल
42	हसामपुर	पाटन	
43	बल्पुरा	1	दयाल की नांगल
44	मेगा की नांगल	2	जौली
45	मोडुका	3	डोकन
46	राजपुरा	4	न्यारना
47	घासीपुरा	5	रायपुर पाटन
48	छाजा की नांगल	6	दरोबा
49	चमसिंहपुरा	7	टोडा
50	झुगा की नांगल	8	लोदीकाबास
51	दलमतपुरा	9	चासीपुरा
52	लोदीकाबास	10	हसामपुर
53	सावलपुरा तवरन	11	राजपुरा
54	मौलाला	12	छाजा की नांगल
55	खटकडा	13	रामसिंहपुरा
56	किशोरपुरा	14	मोडुका
57	टटेरा	15	दलमतपुरा
58	वीथलपुर	16	मेगा की नांगल
59	रायपुर जागीर	17	बल्पुरा
60	सकराय	18	पाटन
61	जुगलपुरा	19	झुगा की नांगल
62	आगरी	20	स्यालोदडा
63	हरानगर	21	श्यामपुरा
64	नापाली	22	बिहार
65	कुरखडा	23	डबला
66	न्यारना	24	बिहारीपुर
		25	मोकलवास

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रजेश यादव)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राज0 जयपुर।
6. समस्त समानीय अनुसूक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
11. रक्षित फाइलें।

(रजेश यादव)



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराधि/2014/ 1483 जयपुर, दिनांक- 5-11-2014

अधिसूचना:-

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराधि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-88 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अधिसूचनाओं का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात सोकर जिले की निर्मासिद्ध ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और कि:-

1. सोकर जिले की निर्मासिद्ध पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायतें उस नाम से जानी जावेंगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित है;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायतें अधिकांशता का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;
3. अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायतों के पुनराव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;

4. और यथावत आदेश से जुगाव के पश्चात उक्त जिले को विद्यमान वे पंचायतें जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देनी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायतों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

पंचायत समिति-फतेहपुर				
क्र. सं.	वर्तमान ग्रा0प0 का नाम	वर्तमान ग्रा0प0 में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्रा0प0 का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्रा0प0 में सम्मिलित ग्रामों का नाम
1	कायसत	1. कायसत 2. रघुनाथ 3. ठानी लावण्डा 4. लावण्डा 5. ठेकी	ठेकी	1. ठेकी 2. लावण्डा 3. ठानी लावण्डा
2	-	-	कायसत	1. कायसत 2. रघुनाथ

क्र. सं.	वर्तमान ग्रा0प0 का नाम	वर्तमान ग्रा0प0 में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्रा0प0 का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्रा0प0 में सम्मिलित ग्रामों का नाम
1	देरी	1. देरी 2. भजन्गढ 3. नोथ्याणा 4. धराला 5. गोक का बास 6. स्वस्थपुरा 7. वनताम का बास 8. बालाजी का नाडा	धर्मशाला	1. धर्मशाला 2. गोक का बास 3. वनताम का बास 4. देहलनगर 5. बालाजी का नाडा
2	-	-	देरी	1. देरी 2. भजन्गढ 3. स्वस्थपुरा 4. नोथ्याणा
3	कोहिका	1. कोहिका 2. कुम्भनगर 3. केशरनगर 4. सहेलनगर	कोहिका	1. कोहिका 2. कुम्भनगर 3. केशरनगर
4	कुडली	1. कुडली 2. बालाजी रैकुली नगर 3. नला का बालाजी 4. धोरणा 5. शिवसिंहपुरा 6. समरपुरा	शिवसिंहपुरा	1. शिवसिंहपुरा 2. धोरणा 3. समरपुरा
5	-	-	कुडली	1. कुडली 2. बालाजी रैकुली नगर 3. नला का बालाजी 4. धोरणा
6	रैनपुरा	1. रैनपुरा 2. देवलाणाडा 3. चारण का बास 4. हरदयालपुरा 5. दादली	रैनपुरा	1. रैनपुरा 2. देवलाणाडा 3. चारण का बास 4. दादली
7	मुंगारा	1. मुंगारा 2. कुशालपुरा 3. रामनगर 4. शिवनगर	कुशालपुरा	1. कुशालपुरा 2. शिवनगर 3. रामनगर 4. नाडा की बाणी
8	रघुनाथगढ	1. रघुनाथगढ 2. राणावाडी ठानी 3. नाडा की ठानी 4. खय पनौरा 5. खोरी डाढाणन	मुंगारा	1. मुंगारा 2. रामनगर
9	-	-	रघुनाथगढ	1. रघुनाथगढ 2. खय पनौरा 3. खोरी डाढाणन
10	पलसाना	1. पलसाना 2. नोदाला की ढाणी 3. शिवनगर	पलसाना	1. पलसाना

11	-	भधला की डागी	1. भधला की डागी 2. सुन्दरपुर 3. सुन्दरपुर 4. एक क्षेत्रपुर 5. सैतनवास की डागी
12	लडागा	लडागा	1. लडागा 2. सुन्दरपुर 3. सुन्दरपुर 4. सुन्दरपुर 5. एक क्षेत्रपुर 6. एक क्षेत्रपुर 7. सैतनवास की डागी 8. सुन्दरपुर 9. सुन्दरपुर 10. सुन्दरपुर

पंचायत समिति-खण्डेला				
क्र. स.	वर्तमान ग्रा040 का नाम	वर्तमान ग्रा040 में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्समाहित / नवसृजित ग्रा040 का नाम	पुनर्गठित / पुनर्समाहित / नवसृजित ग्रा040 में सम्मिलित ग्रामों का नाम
1	उपलब्ध	1. बरली 2. बरली 3. डागी क्षेत्रियान 4. उपलब्ध 5. उपलब्ध 6. उपलब्ध का बास 7. उपलब्ध 8. उपलब्ध 9. उपलब्ध 10. उपलब्ध	उपलब्ध	1. बरली 2. उपलब्ध 3. उपलब्ध 4. उपलब्ध का बास
2	डागी	1. डागी 2. डागी 3. डागी	डागी	1. डागी 2. डागी 3. डागी
3	डागी	1. डागी 2. डागी 3. डागी	डागी	1. डागी 2. डागी 3. डागी
4	-	-	-	-

पंचायत समिति-दतारमगढ़				
क्र. स.	वर्तमान ग्रा040 का नाम	वर्तमान ग्रा040 में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्समाहित / नवसृजित ग्रा040 का नाम	पुनर्गठित / पुनर्समाहित / नवसृजित ग्रा040 में सम्मिलित ग्रामों का नाम
1	दुधवा	1. दुधवा 2. दुधवा 3. दुधवा 4. दुधवा 5. दुधवा 6. दुधवा	दुधवा	1. दुधवा 2. दुधवा 3. दुधवा 4. दुधवा 5. दुधवा 6. दुधवा
2	रामगढ़	1. रामगढ़ 2. रामगढ़ 3. रामगढ़ 4. रामगढ़ 5. रामगढ़ 6. रामगढ़	रामगढ़	1. रामगढ़ 2. रामगढ़ 3. रामगढ़ 4. रामगढ़ 5. रामगढ़ 6. रामगढ़
3	मण्डा (मदनी)	1. मण्डा 2. मण्डा 3. मण्डा	मण्डा (मदनी)	1. मण्डा

4.	-	मदनी	1. मदनी 2. गोरमपुरा
----	---	------	------------------------

पंचायत समिति-नीमकाथाना				
क्र. स.	वर्तमान ग्रा040 का नाम	वर्तमान ग्रा040 में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्समाहित / नवसृजित ग्रा040 का नाम	पुनर्गठित / पुनर्समाहित / नवसृजित ग्रा040 में सम्मिलित ग्रामों का नाम
1	गोडवास	1. गोडवास 2. गोडवास 3. गोडवास 4. गोडवास	गोडवास	1. गोडवास 2. गोडवास 3. गोडवास 4. गोडवास
2	-	-	-	-
3	आगवाडी	1. आगवाडी 2. आगवाडी 3. आगवाडी 4. आगवाडी	आगवाडी	1. आगवाडी 2. आगवाडी 3. आगवाडी 4. आगवाडी
4	-	-	-	-
5	गोडवास	1. गोडवास 2. गोडवास 3. गोडवास 4. गोडवास	गोडवास	1. गोडवास 2. गोडवास 3. गोडवास 4. गोडवास
6	-	-	-	-
7	मण्डली	1. मण्डली 2. मण्डली 3. मण्डली 4. मण्डली	मण्डली	1. मण्डली 2. मण्डली 3. मण्डली 4. मण्डली
8	मण्डली	1. मण्डली 2. मण्डली 3. मण्डली 4. मण्डली	मण्डली	1. मण्डली 2. मण्डली 3. मण्डली 4. मण्डली
9	-	-	-	-
10	कोटडा	1. कोटडा 2. कोटडा 3. कोटडा 4. कोटडा	कोटडा	1. कोटडा 2. कोटडा 3. कोटडा 4. कोटडा
11	गोडवास	1. गोडवास 2. गोडवास 3. गोडवास 4. गोडवास	गोडवास	1. गोडवास 2. गोडवास 3. गोडवास 4. गोडवास
12	सोडलपुरा	1. सोडलपुरा 2. सोडलपुरा 3. सोडलपुरा 4. सोडलपुरा	सोडलपुरा	1. सोडलपुरा 2. सोडलपुरा 3. सोडलपुरा 4. सोडलपुरा
13	-	-	-	-
14	सोडलपुरा	1. सोडलपुरा 2. सोडलपुरा 3. सोडलपुरा	सोडलपुरा	1. सोडलपुरा 2. सोडलपुरा 3. सोडलपुरा

15	—	4. लादिया 5. भारूपुरा 6. मोधरेड	चीपलाटा	1. चीपलाटा 2. लादिया 3. भारूपुरा
16	डोकन	1. डोकन 2. नुसिहवाला 3. भीतरी 4. नाथूवाला 5. न्योराना 6. खारिया 7. भगेश्वर 8. नारदा 9. हेमराजपुरा	डोकन	1. डोकन 2. भीतरी 3. भगेश्वर 4. नाथूवाला
17	—	—	न्योराना	1. न्योराना 2. हेमराजपुरा 3. नारदा 4. खारिया 5. नुसिहवाला

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महानगहन राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति० मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति० मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राज० जयपुर।
6. समस्त समग्रीय आयुक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मद्रपालद जयपुर को प्रकाशनाार्थ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव(विधि)